वार्षिक रिपोर्ट

2000-2001

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

5 वाँ तल, कोर-3, स्कोप कॉम्पलेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

फोन : 91-11-4361145, 4360216, फैक्स : 91-11-4360010, 4360058

ई-मेल : cercind@ndf.vsnl.net.in

वेबसाइट : www.cercind.org

3725 Power/2001—1A

विषय सूची

		पृष्ठ संख्या
1.	आयोग का प्रतीक चिह्न	1
2.	आयोग का संक्षिप्त विवरण	2
3.	आयोग के संस्थापक सदस्यों का संक्षिप्त परिचय	3
4.	आयोग के कार्य	10
5.	कार्यलक्ष्य (मिशन) का विवरण	11
6.	आयोग का मानव संसाधन	12
7.	पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन	14
	(i) प्रशासन	
	(ii) वार्षिक लेखा विवरण	
	(iii) वर्ष के दौरान हुई प्रगति	
8.	वर्ष 2001-2002 के लिए कार्यसूची	27

अनुबंधों की सूची

1.	संगठन चार्ट	28
2.	आयोग के सदस्यों और मुख्य कर्मचारियों की सूची	29
3.	संगोष्ठियों/सम्मेलन जिनमें अध्यक्ष/सदस्य/सचिव ने भाग लिया	30
4.	प्रशिक्षण	31
5.	1-4-2000 से 31-3-2001 तक के दौरान आयोग के समक्ष दायर याचिकाओं की स्थिति	32

आयोग का प्रतीक चिह्न

आयोग का लोगो विद्युत क्षेत्र में विभिन्न हितधारियों—केन्द्रीय उत्पादन एवं पारेषण कम्पनियों तथा उपभोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के साथ-साथ आयोग की भूमिका को चित्रित करता है। आयोग का प्रमुख कार्य विद्युत क्षेत्र में मितव्ययता, कार्यकुशलता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा उत्पादकों को पर्याप्त प्रतिफल सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। यह उत्पादन एवं पारेषण कम्पनियों के बीच विवादों के निपटान संबंधी न्याय निर्णयन की भूमिका भी निभाता है। आयोग को अपना कारोबार पारदर्शी एवं निष्पक्ष ढंग से चलाना होता है। अत: वह ''तुला'' जिसके चारों तरफ लोगो बनाया गया है, अपने प्रमुख कार्यों को पूरा करने में आयोग के अर्ध-न्यायिक कार्यकरण का समूचित प्रतीक है। मध्य में दिए गए पारेषण टॉवर से उस आधार का संकेत मिलता है जो जमीन में मजबूती से गढ़ा हुआ है और जिसकी कोर पर दोनों तरफ दो पलड़े लटके हुए हैं—बांया पलड़ा उत्पादकों का तथा दायां पलड़ा उपभोक्ताओं का द्योतक है। इससे सामान्य तुला में बांयी ओर भार/माप तथा दायीं ओर सामग्री/आपूर्ति की छाप भी मिलती है। तुला के केन्द्र में स्थित पारेषण टॉवर विद्युत उत्पादकों तथा इसके उपभोक्ताओं के बीच महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है।

यह लोगो संस्थापक सदस्यों में से एक सदस्य श्री डी.पी. सिन्हा तथा तत्कालीन सचिव श्री संजीव अहलुवालिया द्वारा अभिकल्पित किया गया था और आयोग द्वारा इसे वर्ष 1998-99 के दौरान अपनाया गया था।

आयोग का संक्षिप्त विवरण

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 (1998 का 14) के द्वारा जुलाई, 1998 में केन्द्र में एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की स्थापना की गई और इससे उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करने और आपूर्ति तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए राज्यों में विनियामक आयागों की स्थापना करना सुगम हो सका। अधिनियम का पूरा पाठ आयोग की वेबसाइट **www.cercind.org.** पर उपलब्ध है।

यह आयोग न्यायिक-कल्प स्वरूप में कार्य करता है। इसे दीवानी (सिविल) न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन सदस्य के रूप में शामिल हैं। स्वतंत्र विनियमन से संबंधित मुद्दों पर विचार करते समय एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए अधिनियम में यह विहित है कि अध्यक्ष और सदस्यगण ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें इंजीनियरी, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त अथवा प्रबंधन में पर्याप्त ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो। यह आयोग में निरूपित की जाने वाली विभिन्न विधाओं के एक व्यापक स्वरूप को भी निर्धारित करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा विहित केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक चयन समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अधिनियम में एक सचिव की नियुक्ति के लिए भी व्यवस्था है, जो अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा और जिसकी शक्तियां और कर्तव्य आयोग द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं।

आयोग के संस्थापक सदस्यों का संक्षिप्त परिचय

प्रोफेसर एस. एल. राव
अध्यक्ष
(अगस्त, 1998 से जनवरी, 2001 तक)

प्रोफेसर एस.एल. राव प्रशिक्षण की दृष्टि से एक अर्थशास्त्री और अनुभव की दृष्टि से एक प्रबंधक रहे हैं। उन्होंने निजी क्षेत्र में तीन अलग-अलग कंपनियों में विपणन, निर्यात और सामान्य प्रबंधन के क्षेत्र में प्रबंधक के रूप में 28 वर्षों की सेवा की है। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रबंधन के विषय पर शिक्षण कार्य किया है। प्रबंधन परामर्शदाता के रूप में दो वर्ष कार्य करने के पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय प्रबंधन कार्यक्रम के प्रथम कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वे वर्ष 1990—1996 तक की अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् (नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनामिक रिसर्च) के महानिदेशक थे। वे टाटा एनर्जी रिसर्च इस्टीट्यूट में विशिष्ट विजिटिंग फैलो एवं पर्थ, आस्ट्रेलिया में इंडियन ओशन सेंटर में विजिटिंग फैलो रहे थे और वे कई संगठनों के निदेशक मंडल में निदेशक भी रहे हैं। प्रोफेसर एस.एल. राव ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में अगस्त, 1998 में पदभार ग्रहण किया था और वे 21 जनवरी, 2001 को सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

श्री डी. पी. सिन्हा
सदस्य
(अगस्त, 1998 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री डी. पी. सिन्हा अगस्त, 1998 से ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। वे बी.आइ टी. सिंदरी (रांची विश्वविद्यालय) से 1963 के इंजीनियरी (इलैक्ट्रॉनिकी और दूरसंचार) में डिग्रीधारी हैं। उन्होंने वर्ष 1995-98 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (ग्रिड एवं प्रचालन) के रूप में भी कार्य किया है। विद्युत के अन्तर-राज्यीय और अन्त:क्षेत्रीय विनिमय इसके व्यापार और लेन-देन से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक मुद्दों के विनियमन, जिसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर प्रादुर्भाव होने वाले भारतीय विद्युत ग्रिड की नींव रखी गयी थी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके पूर्व वे वर्ष 1990 से 1995 तक मुख्य इंजीनियर (भार प्रेषण और दूरसंचार) तथा केन्द्रीय विद्युत दूरसंचार समन्वय समिति (पी०टी०सी०सी०) के अध्यक्ष रहे थे जहां पर उन्होंने प्रणाली एकीकरण, स्केडा, नियंत्रण, संचार, समेंकन और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित कार्य किया। उन्होंने भारतीय विद्युत क्षेत्र के लिए ''मास्टर दूरसंचार योजना'' तैयार की, जो अब पावरग्रिड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

उनके कनाडा, जाम्बिया, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिनियुक्ति पर रहने के कारण उनको विद्युत इंजीनियरी के पहलुओं में गहन अंतरराष्ट्रीय अनुभव प्राप्त है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (1990—1998) में पदस्थापित रहने के समय भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और ए.बी.टी अधिसूचना के मसौदे की प्रारंभिक संकल्पना और सृजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जिस पर बाद में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में अपेक्षित कार्यवाही की गई और कतिपय संशोधनों के बाद उसे अनुमोदित किया गया था। उनकी यह विविधतापूर्ण पृष्ठभूमि और व्यापक अनुभव आयोग के दिन-प्रतिदिन के कार्य के लिए महत्वपूर्ण धरोहर है।

3725 Press/2001—28

श्री जी. एस. राजामणि
सदस्य
(अगस्त, 1998 से पदभार ग्रहण किए हुए हैं)

श्री जी. एस. राजामणि अगस्त, 1998 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने वर्ष 1965 से 1998 तक भारतीय रक्षा लेखा सेवा में कार्य किया है। वे रक्षा लेखा के अपर महानियंत्रक रहे हैं और उन्होंने संचार, पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिकी और गैर-पारम्पारिक ऊर्जा स्त्रोत, कल्याण और रक्षा मंत्रालयों सहित भारत सरकार के कई मंत्रालयों में कार्य किया है। अगस्त, 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, श्री राजामणि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक) के पद पर आसीन थे। वे मद्रास विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में लोक प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है।

श्री ए. आर. रामनाथन
सदस्य
(अगस्त, 1998 से दिसम्बर, 2000 तक)

श्री ए. आर. रामनाथन अगस्त, 1998 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य हैं और वे बीस वर्षों से भी अधिक अवधि तक लागत लेखाकार के रूप में प्रैक्टिस करते रहे हैं। उन्होंने वर्ष 1964 में इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया के शिक्षण निदेशालय में और वर्ष 1967 में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण किया था जहां पर उन्होंने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लेखा, कंपनी विधि और प्रबंधन लेखा का शिक्षण कार्य किया। वे भारत सरकार द्वारा गठित लागत लेखा-परीक्षा नियमावली संबंधी सलाहकार समिति के सदस्य और भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान की केन्द्रीय परिषद के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में उनका चयन कम्पनी विधि बोर्ड के प्रथम व्यावसायिक सदस्य के रूप में किया गया था और बोर्ड के उत्तरी पीठ के अध्यक्ष रहे तथा वर्ष 1998 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने तक वे बोर्ड की मुख्य पीठ (बेंच) के सदस्य रहे थे। उन्होंने संयुक्त रूप से प्रबंधन लेखा पर एक पुस्तक लिखी है जिसका व्यापक रूप से प्रकाशन हुआ है। उन्होंने मैसर्स टाटा मैकग्रॉ हिल द्वारा प्रकाशित ''लागत और प्रबंध लेखा परीक्षा'' पर भी एक पुस्तक लिखी है। श्री रामनाथन 25 दिसम्बर, 2000 को सेवा निवृत्त हो गए हैं।

श्री आर. एन. श्रीवास्तव
अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पदेन सदस्य
(अगस्त, 1998 से फरवरी, 2001 तक)

श्री आर. एन. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा भारत सरकार के पदेन सचिव अगस्त, 1998 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) रहे हैं। उन्होंने आई.आई.टी. खड़गपुर और एफ.आई.ई. (इंडिया) से बी.एस.सी., बी.टेक (ऑनर्स), इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी (पावर) में डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने वर्ष 1963 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समूह ''क'' सेवा में पदभार ग्रहण किया था। श्री आर. एन. श्रीवास्तव को सामान्य रूप में विद्युत आपूर्ति उद्योग और विशेष रूप में विद्युत आयोजना के क्षेत्र में भारत तथा विदेश, दोनों में ही काफी लंबा व्यावसायिक अनुभव प्राप्त है। वे वर्ष 1975 से 1980 तक जल और विद्युत मंत्रालय, अबुधाबी, संयुक्त अरब अमीरात सरकार में आयोजना प्रमुख रहे थे। श्रीवास्तव ने अप्रैल, 1994 से जून, 1995 तक राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान के महानिदेशक के पद पर भी क़ार्य किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलनों और पत्रिकाओं के लिए कई तकनीकी पत्र और लेख लिखे हैं।

श्री डी. वी. खेड़ा
अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और पदेन सदस्य,
(मार्च, 2001 से)

श्री डी. वी. खेड़ा अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण मार्च, 2001 से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य (पदेन) हैं। वे बिड़ला कालेज ऑफ इंजीनियरी, पिलानी, राजस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी में स्नातक हैं। उन्होंने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समूह ''क'' सेवा में वर्ष 1964 में पदभार ग्रहण किया था।

अपनी सेवा अवधि के दौरान वे देश के भीतर और बाहर, अभिकल्प और इंजीनियरी, आयोजना तथा मूल्यांकन आदि सहित जल विद्युत परियोजनाओं के प्रत्येक पहलू के विकास से निकटता से जुड़े रहे हैं। देश में तथा भूटान, नेपाल और म्यांमार में जल विद्युत के विकास के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने गैर-परम्परागत विद्युत विकास अर्थात् ज्वारीय विद्युत तथा लघु/अतिलघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के क्षेत्र में भी कार्य किया है। उन्हें देश के विद्युत क्षेत्र की आयोजना में अनुभव प्राप्त है और योजना दस्तावेज तैयार करने के कार्य में वे घनिष्ठ रूप से सहयोजित रहे हैं।

श्री खेड़ा विभिन्नं विशेषज्ञ समितियों के सदस्य रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जल विद्युत विकास से संबंधित बहुत से तकनीकी पत्रों को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। उन्हें परियोजना विकास, प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तरण, उपस्कर परीक्षण, के संबंध में तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों से संबंधित परिचर्चाओं आदि में भाग लेने के लिए बहुत से देशों में भेजा गया था। इंजीनियरी के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) दिल्ली का उत्कृष्ट इंजीनियरी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है।

आयोग के कार्य

आयोग निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन करने के लिए उत्तरदायी है :—

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनियों के अलावा उत्पादन कंपनियों अथवा ऐसी कम्पनियों के टैरिफ को विनियमित करना जिनके पास एक से अधिक राज्य में विद्युत का उत्पादन और विक्रय करने के लिए कोई मिश्रित योजना है।

(ग) पारेषण संगठनों (यूटिलिटियों) की टैरिफ सहित ऊर्जा के अन्तर-राज्यीय पारेषण को विनियमित करना।

(घ) विद्युत उद्योग के क्रियाकलापों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढ़ावा देना।

(ङ) टैरिफ नीति बनाने में केन्द्रीय सरकार को सहायता और सलाह देना जो,—

(i) उपभोक्ताओं के लिए उचित हो; और

(ii) जिससे विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधनों के जुटाने में सुविधा हो;

(च) विद्युत क्षेत्र के पर्यावरणीय विनियमन के लिए समुचित नीतियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने हेतु पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करना।

(छ) विद्युत टैरिफ से संबंधित मामलों में मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना।

(ज) उपर्युक्त (क) से (ग) से संबंधित मामलों के संबंध में उत्पादन कंपनियों या पारेषण संगठनों (यूटिलिटीज) के बारे में उठे विवादों को आरोपित करना या न्यायनिर्णयन करना।

(झ) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय आयोग को निर्दिष्ट किसी भी अन्य मामले पर सरकार की सहायता करना और सलाह देना।

(ञ) अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली के निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस देना।

अपने दायित्व के भीतर गतिविधियों के निश्चित क्षेत्र के तहत आयोग उद्देश्यों को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इस उद्देश्य के प्रति, आयोग ने एक कार्यलक्ष्य (मिशन) विवरण तैयार किया है जो आगामी वर्षों के दौरान इसकी कार्य योजना को तैयार करने में मार्गदर्शन करेगा।

कार्यलक्ष्य (मिशन) का विवरण

आयोग का आशय बल्क बिजली बाजारों में प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और मितव्ययता को बढावा देना, आपूर्ति की स्थिति में सुधार करना, निवेश को बढ़ाना और मांग व आपूर्ति के बीच अंतर को कम करने हेतु संस्थागत अवरोधों को समाप्त करने के लिए सरकार को सलाह देना तथा इस प्रकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इन उद्देश्यों के अनुसरण में आयोग—

- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के प्रतिपादन के जरिए क्षेत्रीय पारेक्षण प्रणालियों के प्रचालन और प्रबंधन में सुधार करेगा और तत्संबंधी संस्थागत व्यवस्था की पुन:संरचना के संबंध में सलाह देगा।
- एक कारगर टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया को तैयार करेगा जिससे टैरिफ याचिकाओं का शीघ्रता से और समयबद्ध रूप में निपटान सुनिश्चित होगा और बल्क विद्युत और पारेषण सेवाओं के मूल्य के संबंध में प्रतिस्पर्धा, मितव्ययता और कार्यकुशलता को बढ़ावा मिलेगा और जिससे न्यूनतम लागत पर निवेश सुनिश्चित होगा।
- सभी हितधारियों (स्टेक होल्डरों) को जानकारी देने में सुधार करेगा।
- यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनायेगा कि अन्तरराज्यीय पारेषण के संबंध में निवेश निर्णय भागीदारी पद्धति में पारदर्शी रूप में लिए जाएं और न्यूनतम लागत के आधार पर न्यायसंगत हों।
- बल्क विद्युत और पारेषण सेवओं में प्रतियोगी बाजारों के विकास के लिए अपेक्षित प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तनों को सुलभ बनाएगा।
- प्रतिस्पर्धी बाजारों के सृजन के लिए प्रथम चरण के रूप में पर्यावरणीय सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षा संबंधी समस्याओं तथा विद्यमान विधायी अपेक्षाओं की सीमाओं के भीतर पूंजी और प्रबंधन के लिए प्रवेश और निकास के अवरोधों को हटाने के बारे में सलाह देगा।
- पर्यावरणीय विनियमों को तैयार करने में आर्थिक सिद्धांतों को प्रयोग करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक अभिकरणों के साथ सहयोग करेगा।

आयोग का मानव संसाधन

आयोग के अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में प्रभावोत्पादकता और कार्यकुशलता इंजीनियरी प्रणाली प्रचालन, आर्थिक और वित्तीय विश्लेषण, प्रबंधन लेखाकरण, सूचना प्रबंधन और अन्य संबद्ध कार्य-क्षेत्रों में समुचित विशेषज्ञता और अनुभव वाले इसके कर्मचारियों की दक्षता और कार्यात्मक विशेषज्ञता पर निर्भर करती है। तदनुसार, आयोग के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या इन क्षेत्रों में 31 व्यावसायिकविदों की है। संगठनात्मक चार्ट अनुबंध-I में और आयोग के सदस्यों और प्रमुख कर्मचारियों की सूची अनुबंध-II में दी गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग सरकार, उद्योग और अनुसंधान संस्थाओं में उपलब्ध मानव संसाधन और उनकी व्यापक सुविज्ञता और अनुभव का उपयोग करने की भी इच्छा रखता है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान भर्ती की स्थिति सारणी-I में दी गई है।

अधिनियम के अंतर्गत आयोग के बहुत व्यापक दायित्व हैं। इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रत्यक्षत: अथवा अप्रत्यक्षत: विद्युत क्षेत्र में सभी प्रकार के कार्यकलाप आते हैं। केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित उत्पादन कंपनियों के टैरिफ एक से अधिक राज्यों में उत्पादन और बिक्री के लिए मिश्रित स्कीम रखने वाली अन्य कंपनियों के टैरिफ, पावरग्रिड द्वारा ऊर्जा का पारेषण और टैरिफ सहित ऊर्जा का अन्तरराज्यीय पारेषण कुछेक ऐसे कार्यकलाप हैं, जिनमें आयोग प्रत्यक्षत: कार्य कर सकता है। अप्रत्यक्ष रूप में यह केन्द्रीय सरकार को उसकी ऐसी टैरिफ नीति, जो उपभोक्ताओं के लिए उचित होगी और विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सुलभ बनाएगी, तैयार करने में सहायता करता है और सलाह देता है। विद्युत कानून (संशोधित) अधिनियम, 1998 (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के संशोधन के माध्यम से) के उपबंधों के अंतर्गत आयोग को अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के लिए पारेषण यूटिलिटीज को लाइसेंस अनुमोदित करने की शक्ति प्रदान की गयी है। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 में संशोधन के जरिए आयोग अब क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के लिए अदा की जाने वाले शुल्क और प्रभारों को विनिर्दिष्ट करेगा। इससे प्राप्त इन हाउस कुशलता और अनुभव में संवृद्धि करने के लिए आयोग परामर्शदाताओं की सेवा लेता है और इस उद्देश्य के लिए इसने विनियम बनाए हैं।

सारणी-I

वर्ष 2000-01 के दौरान भर्ती

क्रम सं	पद का नाम	साक्षात्कार की तारीख	सूचीबद्ध उम्मीदवारों की संख्या	वास्तव में पदभार ग्रहण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	अभ्युक्ति
1.	चीफ (विधि)	22-12-2000	03	01	
2.	डिप्टी चीफ (विधि)	06-12-2000	02	01	
3.	ज्वाइंट चीफ (वित्त)	13-11-2000	03	01	
4.	चीफ (आर्थिक)	22-8-2000	01	शून्य	पद भार ग्रहण नहीं किया।
5.	ज्वाइंट चीफ (आर्थिक)	22-8-2000	01	शून्य	पद भार ग्रहण नहीं किया।
6.	चीफ (इंजी)	8-8-2000		शून्य	4 व्यक्ति साक्षात्कार में उपस्थित हुए परन्तु कोई भी पात्र नहीं पाया गया।
7.	डिप्टी चीफ (आर्थिक)	22-8-2000	शून्य	शून्य	कोई भी पात्र नहीं पाया गया।
8.	डिप्टी चीफ (वित्त)	13-11-2000		शून्य	साक्षात्कार में 7 व्यक्ति उपस्थित हुए परन्तु कोई भी उपयुक्त नहीं पाया गया।
9.	प्रधान निजी सचिव	—	—	01	19-1-2001 से संविदा आधार पर
10.	निजी सचिव	—	—	01	वही
11.	ड्राइवर	—	—	03	वही
12.	चपरासी	—	—	01	वही
13.	उच्च श्रेणी लिपिक	—	—	01	1-12-2000 से स्थायी तौर पर अमेलित (विद्युत मंत्रालय से)
14.	नि.श्रे. लिपिक	—	—	01	वही
15.	चपरासी	—	—	01	वही
	योग	—	10	12	

3725 Power/2001—4B

पूर्व वर्ष का सिंहावलोकन

1. प्रशासन

प्रो. एस.एल. राव, अध्यक्ष तथा श्री ए. आर. रामनाथन, सदस्य क्रमश: 21 जनवरी, 2001 को तथा 25 दिसम्बर, 2000 को सेवा निवृत्त हो गए हैं। श्री संजीव एस. अहलुवालिया, सचिव को 30 नवम्बर, 2000 को उनकी दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के पश्चात् उनके मूल संवर्ग, उत्तर प्रदेश को वापस भेज दिया गया। दो पद वर्ष 2000-01 की शेष अवधि के लिए रिक्त पड़े रहे।

(i) केन्द्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)

केन्द्रीय आयोग को नीति-निर्माण, लाइसेंस की शर्तों और अपेक्षाओं के साथ लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा, उपभोक्ता हितों का संरक्षण तथा ऊर्जा की आपूर्ति और यूटिलिटीज द्वारा कार्यनिष्पादन के समग्र मानकों के संबंध में सलाह देने के लिए आयोग ने केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसमें वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, श्रम, उपभोक्ताओं, गैर-सरकारी संगठनों और ऊर्जा क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व शामिल है। पूंजी लागत और मूल्यह्रास मानदण्डों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति की तीसरी बैठक मई, 2000 में हुई थी।

(ii) वर्ष के दौरान जारी अधिसूचनाएं

वर्ष 2000-01 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईं :—

सारणी-2

अधिसूचनाएं

क्रम सं.	अधिसूचना संख्या और तारीख	विषय	वह तारीख, जब इसे विद्युत मंत्रालय को भेजा गया
1.	दिनांक 10-5-2000 का 55	के.वि.वि. आ. कारोबार का संचालन (प्रथम संशोधन) विनियम, 2000	3-7-2000
2.	दिनांक 25-5-2000 का 63	के.वि.वि. आ. (ताप विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करना) 2000	3-7-2000
3.	दिनांक 15-7-2000 का 91	के.वि.वि. आ. [पारेषण संगठन (यूटिलिटी) द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करना] 1999	24-8-2000
4.	दिनांक 23-3-2001 का 74	के.वि.वि. आ. (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2000	11-4-2001
5.	दिनांक 26-3-2001 का 75	के.वि.वि. आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2001	11-4-2001

(क) (ताप विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करना) आदेश 02/2000;

आयोग ने के.वि.वि.आ. (ताप विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करना) आदेश 02/2001, 28 अप्रैल, 2000 को अधिसूचित किया जो अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू हुआ। ताप विद्युत उत्पादन कम्पनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं उसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार होंगी और अपेक्षित आंकड़े (डाटा) संलग्न अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस विषय पर पुनरीक्षा याचिका दायर की है। (याचिका संख्या 60/2000)

(ख) (पारेषण यूटिलिज द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करना) आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2000

आयोग ने के.वि.वि.आ. (पारेषण) यूटिलिटी द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करना) आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2000 को अधिसूचित किया जो अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू हुआ। पारेषण संगठन (यूटिलिटी) द्वारा वार्षिक रिपोर्ट दायर करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रियाएं उसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार होंगी और अपेक्षित आंकड़े (डाटा) संलग्न अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे।

(ग) के. वि. वि. आ. (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2000;

आयोग ने के.वि.वि.आ. (चिकित्सा सुविधाएं) विनियम, 2000, 23 मार्च, 2001 को अधिसूचित किये जिनमें संविदा पर रखे गए कर्मचारियों सहित आयोग के कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा दावे (बाहरी उपचार) प्रस्तुत करने में अपनायी जाने वाली प्रक्रियाएं अधिसूचित की गयी हैं।

(घ) के. वि. वि. आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2001

आयोग ने के.वि.वि.आ. (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) आदेश 26 मार्च, 2001 को अधिसूचित किया जो 1 अप्रैल, 2001 से लागू हुआ और यह तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा यदि इसकी इससे पूर्व पुनरीक्षा नहीं की जाती है अथवा इसमें दिए गए अनुदेशों के अनुसार टैरिफ के निबंधनों और शर्तों के बारे में आयोग द्वारा अवधि नहीं बढ़ायी जाती है और अपेक्षित आंकड़े (डाटा) संलग्न अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत किये जाएंगे।

वार्षिक लेखा विवरण-2000-2001

व्यय

आयोग को वर्ष 2000-2001 के लिए 650 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया था। पूर्व वर्ष के समान, चालू वर्ष में भी व्यय आबंटन से कम था। किराए, दरों और करों पर व्यय में एक बड़ा हिस्सा शामिल है। कार्यालय व्यय और अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन के लिए आबंटन का अगला स्थान रहा था।

मुख्य शीर्ष : ''2801 विद्युत''

लघु शीर्ष : 80.800

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान बजट अनुमान और संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

सारणी 3

(लाख रुपये में)

विनियोजन की इकाई	बजट अनुमान 2000-01	संशोधित अनुमान 2000-01	वास्तविक व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
वेतन	185.00	125.00	96.55	बचत रिक्त पदों को भरने के लिए विद्युत मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से समय पर अनुमोदन प्राप्त होने में हुए विलम्ब के कारण हुई।
घरेलू यात्रा व्यय	20.00	15.00	5.67	बचत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप घरेलू यात्रा के संबंध में आर्थिक उपाय लागू किए जाने के कारण हुई।
विदेश यात्रा व्यय	25.00	20.00	6.27	बचत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार विदेश यात्रा के संबंध में आयोग द्वारा लगाई गई अत्यधिक कटौती के कारण हुई।
कार्यालय व्यय	130.00	120.00	54.69	बचत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अनुसार कड़े मितव्ययी उपाय लागू किए जाने के कारण हुई।
व्यावसायिक व्यय	110.00	110.00	56.80	बचत परामर्शी एजेन्सियों द्वारा परामर्शी सेवा शुल्कों को प्रस्तुत करने में किए गए विलम्ब के कारण हुई।
किराया, दरें और कर	170.00	170.00	165.76	बचत कार्यालय आवास के संबंध में मार्च, 2001 के लिए किराये के बिल के प्राप्त न होने के कारण हुई।
अन्य प्रभार	10.00	10.00	1.00	बचत वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कड़े मितव्ययी उपायों को लागू करने के कारण हुई।
योग	650.00	570.00	386.74	

कायिक निधि (कार्पस फंड) 2000-01

आयोग को वर्ष 2000-01 के दौरान 2,00,01,000 रुपये की सावधि जमा (एफ.डी.आर.) पर ब्याज के रूप में 15,50,055 रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इस निधि से निकाली गई कुल राशि 1,06,201 रुपये थी जिसे संविदा पर रखे गये कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों का भुगतान करने हेतु निकाला गया था।

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव ने जिन संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया था उनका ब्यौरा अनुबंध-III में दिया गया है और आयोग के कर्मचारियों द्वारा प्राप्त किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।

वर्ष 2000-01 के दौरान हुई प्रगति

वर्ष 2000-01 आयोग का महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष रहा है। आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली ताप विद्युत, जल विद्युत तथा अंतरराज्यीय पारेषण प्रणालियों पर लागू होने वाली टैरिफ संरचना के संबंध में अपना प्रथम व्यापक आदेश जारी किया था। यह आदेश ''अनुमेय एवं निष्पक्ष प्रणाली, जिसमें कार्य कुशलता को तरजीह मिलती है और टैरिफ निर्माण में लागत वृद्धि संबंधी पद्धति हतोत्साहित होती है, की स्थापना'' के प्रति कार्य संचालन की दिशा में आयोग के विभिन्न कार्याकलापों का चरम बिन्दु था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए कुछेक अन्य उल्लेखनीय कार्य उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) समीक्षा याचिका के निपटान, प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के बारे में विनियम तैयार करने से संबंधित अध्ययन की शुरुआत तथा ए.बी.टी. के कार्यान्वयन हेतु जल विद्युत केन्द्रों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से संबंधित थे। आयोग ने पारेषण लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित निबंधन तथा शर्तें एवं क्रियाविधि तथा ताप विद्युत एवं जल विद्युत केन्द्रों तथा अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणालियों के प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी खर्चों की बढ़ती हुई प्रवृतियों से संबंधित स्टॉफ चर्चा पत्र भी तैयार किए थे जिन्हें हितधारियों में परिचालित किया गया था।

वर्ष 2000-01 के दौरान आयोग को 127 नई याचिकाएं प्राप्त हुई थीं और 40 याचिकाएं पिछले वर्ष से आगे लाई गई थीं। इनमें से 29 याचिकाओं का अंतिम रूप से निपटान कर दिया गया था। आयोग के समक्ष विचाराधीन पड़ी याचिकाओं के ब्यौरे अनुबंध-V में दिए गए हैं। आयोग के मुख्य आदेशों के बारे में संक्षेप में नीचे चर्चा की गयी है।

1. आयोग का दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 का टैरिफ संबंधी आदेश

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा-28 के तहत आयोग को विनियमन द्वारा धारा-13 के खण्ड (क) (ख) और (ग) के अंतर्गत टैरिफ को सुनिश्चित करने हेतु निबंधन एवं शर्तें निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है। धारा-43क (2) को हटाये जाने के परिणामस्वरूप वि.वि.आ. अधिनियम की धारा-28 के उपबंधों के तहत नई निबंधन एवं शर्तों को अधिसूचित करना अपेक्षित था क्योंकि अब वे आयोग के टैरिफ संबंधी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं।

दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 को जारी उक्त टैरिफ आदेश विशेषज्ञों के साथ हुए विचार-विमर्शों, प्रमुख मुद्दों पर परामर्श दाताओं की रिपोर्टों तथा व्यापक सुनवाई की प्रक्रिया जिसमें समस्त हितधारियों को अपने विचार प्रस्तुत करने और अपने पक्ष में तर्क देने का अवसर प्रदान किया गया था, का निचोड़ था। टैरिफ संबंधी निबंधनों एवं शर्तों तथा मानदण्डों के संबंध में विभिन्न स्वत: याचिकाओं के बारे में पृष्ठभूमि विषयक कागजात निम्नलिखित परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए थे :—

	अध्ययन	परामर्शदाता
1.	पूंजी लागत	मैसर्स सी.आर.आई एस.आई.एल. (क्रिसिल)
2.	मूल्यह्रास	मैसर्स आई. सी. आर. ए.
3.	ताप विद्युत केन्द्रों के लिए प्रचालनात्मक मानदण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
4.	जल विद्युत केन्द्रों के लिए प्रचालनात्मक मानदण्ड	मै. वैपकोस एवं एस.एन.सी. लावालिन
5.	ताप विद्युत केन्द्रों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत संबंधी मानदण्ड	मैसर्स डी.सी.एल. कन्सलटैन्ट

यह आदेश आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कंपनियों अर्थात् केन्द्रीय उत्पादन केन्द्रों, अंतरराज्यीय एवं अंत: क्षेत्रीय पारेषण प्रणालियों के लिए बल्क विद्युत तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई. पी. पी.) द्वारा एक से अधिक राज्यों को विद्युत बिक्री हेतु टैरिफ संरचना से संबंधित है। यह आदेश उपभोक्ताओं के प्रति निष्पक्षता, विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने तथा टैरिफ में स्थिरता लाने के उद्देश्यों से अभिप्रेत है और यह 1 अप्रैल, 2001 से शुरू होकर तीन वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा। टैरिफ संबंधी निबंधनों एवं शर्तों तथा मानदण्डों से संबंधित उक्त टैरिफ आदेश में उल्लेख किए गए मुख्य-मुख्य मुद्दों का सारांश निम्नानुसार है :—

1.1 निबंधन एवं शर्तें

- निवेश पर प्रतिफल की दर के दो तत्वों अर्थात् प्रतिलाभ की दर एवं दर-आधार के बारे में यथा स्थिति बनाई रखी गयी है। इक्विटी पर आय (आर.ओ.ई.) की दर को 16% बनाये रखा गया है। तथापि, आयोग ने लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल (आर.ओ.सी.ई.) की पद्धति को इस संबंध में विस्तृत अध्ययन किए जाने के बाद भविष्य में लागू करने के प्रति तरजीह देने की इच्छा व्यक्त की।

- मूल्यह्रास का आकलन विद्युत आपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत यथा-अधिसूचित अनुसूची में 1992 से पूर्व प्रचलित दरों के अनुसार परिसम्पत्तियों की उपयोगी अवधि के लिए ह्रास होने वाले मूल्य को गणना में लेते हुए साधारण तरीके से वार्षिक आधार पर किया जायेगा। ऋणों को चुकता करने के लिए नकदी के प्रवाह की अपेक्षाओं को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मूल्यह्रास के प्रति अग्रिम की सुविधा समस्त यूटिलिटीज के लिए लागू की गई है।

- इस आदेश में प्रचालन तथा अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) लागतों के आधार पर स्तर को पुराने उत्पादन केन्द्रों की पूंजी लागत से जोड़ने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है क्योंकि पूंजी लागत का आकलन कठिन एवं विवादास्पद होता है। नियामक आधार को समुचित समायोजनों के बाद पांच वर्षों के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी वास्तविक व्यय से तैयार किया जाता है। प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी खर्चों के वार्षिक वृद्धि संबंधी संघटक से प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत की संरचना प्रदर्शित होती है और इसे उचित कीमत सूचकांकों से जोड़ा जाता है।

- विदेशी मुद्रा में अंतर की मात्रा का पता लगाने के लिए तैयार की गई कार्य पद्धति के तहत संगठनों (यूटिलिटीज) को आयोग के औपचारिक अनुमोदन के बिना ही लाभानुभोगियों से विदेशी मुद्रा दर अन्तर (एफ.इ.आर.वी.) के प्रभाव को चार्ज करने की अनुमति प्राप्त है। विदेशी मुद्रा दर संबंधी अंतर पर कार्रवाई इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकांउटेन्ट्स ऑफ इंडिया के लेखा मानक के अनुसार की जाती है।

- अग्रिम कर के प्रभाव को कम करने के लिए टैरिफ अवधि के विभिन्न वर्षों के लिए निर्धारित आयकर देनदारी को टैरिफ के निर्धारण के समय निश्चित प्रभारों में जोड़ा गया है। इन धनराशियों को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर आयकर की वास्तविक देनदारी के आधार पर समायोजित किया जाएगा। इससे आयकर के भूतलक्षी समायोजन से उत्पन्न होने वाला टैरिफ संबंधी बोझ समाप्त होगा।

- इस आदेश में यूटिलिटीज के निष्पादन को सुधारने के लिए प्रोत्साहनों को देने/प्रोत्साहन समाप्त करने की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। यूटिलिटीज को नियामक स्तरों से आगे किए गए निष्पादन के लिए प्रोत्साहन दिए जाते हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को ये प्रोत्साहन संयंत्र भार अनुपात (पी.एल.एफ.) 77% के प्रारंभिक स्तर से आगे प्राप्त करने पर मुहैया किए जाते हैं। यूटिलिटी को उपरोक्त प्रारंभिक स्तरों से अधिक उत्पादन करने पर प्रोत्साहन के रूप में 21.5 पैसे/के.डब्ल्यू. एच की दर के साथ बचत की गई निर्धारित लागत/के.डब्ल्यू.एच. के 50% की प्राप्ति होगी। ये प्रोत्साहन दरें 90% संयंत्र भार अनुपात (पी.एल.एफ.) तक लागू होंगी इससे आगे मशीनों की खराबी से बचने के लिए प्रोत्साहन का केवल 50% भाग ही उपलब्ध किया जाएगा। नेवेली लिग्नाइट कोरपोरेशन (एन.एल.सी.) के लिए प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ लक्षित पी.एल.एफ. को 72% गिना जाता है। एन.एल.सी. के लिए प्रचालन के उच्चतर स्तरों पर प्रोत्साहनों के पुनर्समायोजन का प्रस्ताव नहीं हैं क्योंकि प्रोत्साहन प्राप्त करने की सीमा 72% और 77% के बीच सीमित है। तथापि, इस यूटिलिटी के लिए उस स्थिति में 77% से आगे प्राप्ति की गुंजाइश है यदि लिग्नाइट के खनन में उचित प्रयास किए जाते हैं।

पारेषण क्षेत्र के लिए, इक्विटी पर आय के रूप में 98% से अधिक उपलब्धता हासिल करने पर प्रोत्साहन उपलब्ध होते हैं। 98% से अधिक उपलब्धता में प्रत्येक 0.5% की बढ़ोतरी के लिए इक्विटी पर अतिरिक्त एक प्रतिशत की आय उपलब्ध की जाएगी जो अधिकतम 99.75% उपलब्धता पर प्रोत्साहन की सुविधा तक सीमित होगी जो 4% बनता है।

जल विद्युत केन्द्रों के लिए उपलब्धता की अवधारणा के स्थान पर कैपेसिटी इन्डैक्स (सी.आई.) की अवधारणा को रखा गया है। कैपेसिटी इन्डैक्स (सी.आई.) की इस अवधारणा से जल को व्यर्थ बहने से रोकना तथा किसी संयंत्र विशेष की उच्चतम क्षमता की उपलब्धता, उस समय जब यह प्रणाली के लिए सर्वाधिक अपेक्षित हो, सुनिश्चित होती है। 85% सी.आई. के नियामक स्तर पर पूर्ण निर्धारित प्रभार प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे आगे हुई उपलब्धि पर उत्पादक को प्रोत्साहन दिया जाता है और इस लक्ष्य से नीचे रहने पर प्रोत्साहन बंद कर दिया जाता है।

- क्षमता विस्तार के प्रयोजनार्थ अतिरिक्त विकास अधिभार का प्रावधान किया गया है। अधिभार की दरें एन.टी.पी.सी., एन.एल.सी. और एन.एच.पी.सी. के लिए 5% और पावर ग्रिड के लिए 10% होंगी। "विद्युत क्षेत्र में निवेश से भिन्न"

निवेश हेतु इन निधियों का उपयोग आयोग के पूर्व अनुमोदन से ही किया जाएगा।

उपरोक्त के अलावा टैरिफ आदेश में ताप विद्युत एवं जल विद्युत उत्पादन तथा पारेषण क्षेत्र के लिए संशोधित प्रचालनात्मक मानदण्ड भी शामिल हैं। संशोधित मानदण्डों के विभिन्न पहलुओं को संक्षिप्त रूप में नीचे दिया गया है :—

1.2 प्रचालनात्मक मानदण्ड

1.2.1 केन्द्रीय क्षेत्र के जल विद्युत केन्द्रों के लिए प्रचालनात्मक मानदण्ड

- प्राधिकरण द्वारा समस्त एन.एच.पी.सी. और नीपको की परियोजनाओं की अभिकल्प ऊर्जा की समीक्षा 2 वर्षों की अवधि के भीतर की जाएगी।
- जमीन पर और जमीन के नीचे स्थित जल विद्युत केन्द्रों के संबंध में आनुषंगिक खपत के बारे में और पारंपरिक एवं स्थिर उद्दीपन प्रणाली के लिए पहले प्रचलित एकल मानदण्ड के स्थान पर भिन्न-भिन्न मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं।
- जल विद्युत के उत्पादन में पानी को व्यर्थ बहने से रोकने के लिए उपलब्धता के स्थान पर कैपेसिटी इंडेक्स की अवधारणा शुरू की गई है।
- केवल जल विज्ञान से संबंधित कारणों से माने गए उत्पादन के लाभ समाप्त कर दिए गए हैं। तथापि, उत्पादनकर्ता कंपनियों के नियंत्रण से बाहर के कारणों की वजह से माने गए उत्पादन, जब यह जल बिखरने के परिणामस्वरूप होता है, के लिए अनुमति दी जाएगी।
- वार्षिक क्षमता प्रभार के भुगतान हेतु नियामक उपलब्धता (अब कैपेसिटी इंडैक्स) को 90% से कम करके 85% कर दिया गया है।
- प्राथमिक ऊर्जा दर उक्त क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत केन्द्र के न्यूनतम परिवर्तनीय प्रभार के 90% के बराबर होगी।
- द्वितीय ऊर्जा दर प्राथमिक ऊर्जा की प्रति यूनिट लागत के बराबर होगी।
- संशोधित मानदण्डों से मशीन की उपलब्धता में सुधार आने, जल विद्युत उत्पादन हेतु जल संसाधनों का बेहतर उपयोग होने और उत्पादकों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध होने की आशा है।

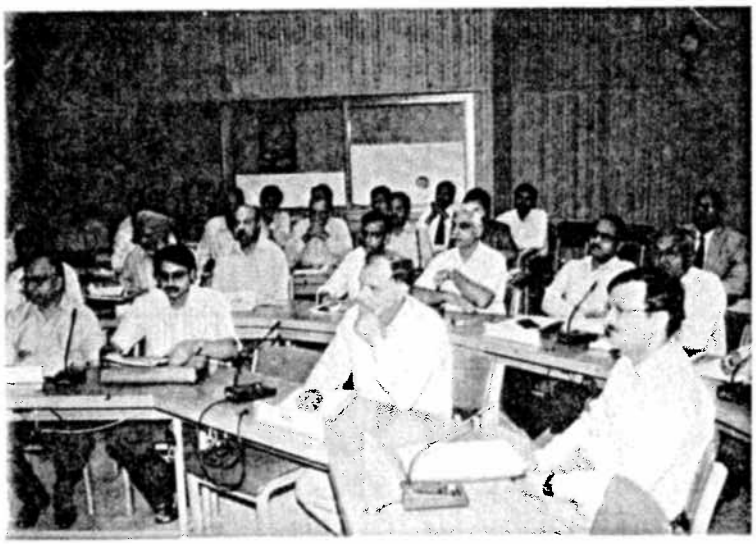

1.2.2 केन्द्रीय क्षेत्र के संगठनों (यूटिलिटीज) के लिए ताप विद्युत प्रचालनात्मक मानदण्ड

आयोग ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1997 में अंतिम रूप प्रदान किए गए ताप विद्युत प्रचालनात्मक मानदण्ड परिचालित किए थे जिनमें स्वत: याचिक संख्या 4/2000 के रूप में जनवरी, 2000 में केन्द्रीय उत्पादन संगठनों (यूटिलिटीज), राज्य बिजली बोर्डों/राज्य संगठनों तथा विद्युत क्षेत्र के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों के सुझाव/टिप्पणियां मांगी गई थीं। सुनवाइयों के दौरान अपेक्षित सहायता देने के अलावा प्रचालनात्मक मानदण्डों को अंतिम रूप दिए जाने के कार्य में सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था। ऐसा इस बात के मद्देनजर रखते हुए किया गया था कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता का संग्रहालय है और इस मामले में उनकी सलाह महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) के कहने पर आयोग ने श्री वी.एस.वर्मा, मुख्य अभियंता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था जिसमें एन.टी.पी.सी. और एन.एल.सी. के एक-एक प्रतिनिधि तथा भानु भूषण, निदेशक, पी.जी.सी.आई.एल. को सदस्य के रूप में तथा प्रमुख (वित्त) के.वि.वि.आ. को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। राज्य बिजली बोर्डों को इन चर्चाओं में भाग लेने और इस दल के साथ पूरा सहयोग करने की अनुमति दी गई थी।

इस विशेषज्ञ दल ने निपटान अवधि, विशिष्ट द्वितीयक ईंधन तेल खपत, आनुषंगिक ऊर्जा खपत, मौजूदा और नए उत्पादन केन्द्रों के लिए ताप दर तथा अवक्रमण के कारणों, बॉयलर क्षमता, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख इत्यादि जैसे विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया था।

आयोग ने यह पाया कि विभिन्न मुद्दों पर पर्याप्त मतभेद हैं और अंततः आयोग को दो अलग-अलग रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं। यह भी देखा गया था कि उन महत्वपूर्ण आंकड़ों को अलग रखने के लिए यूटिलिटीज की ओर से स्पष्ट ध्यान नहीं दिया गया था जिनसे मामले को सुलझाने में मदद मिली होती।

आयोग ने ताप विद्युत प्रचलनात्मक मानदण्डों के संबंध में यथा-स्थिति बनाए रखने को तरहीज दी और 21 दिसम्बर, 2000 के आदेश में इस आशय का निर्णय दिया। इन मानदण्डों को लघुतर आकार की इकाइयों वाले नीपकों के संयंत्रों पर लागू नहीं किया गया था। नीपकों को निर्देश दिया गया था कि वह इस आदेश की तारीख से 3 माह की अवधि के भीतर आवश्यक समर्थनकारी आंकड़ों के साथ उनके द्वारा चलाये जा रहे लघुतर गैर टरबाईन आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए मानदण्डों के निर्धारण हेतु उचित याचिका के साथ आयोग से संपर्क करे।

आयोग ने एन.टी.पी.सी., एन.एल.सी. और नीपकों को यह भी निर्देश दिया था कि वे ताप-दर, कोयले/लिग्नाइट की खपत, द्वितीयक ईंधन तेल खपत, पी.एल.एफ. उपलब्धता, आनुषंगिक विद्युत खपत इत्यादि के संबंध में सही और सत्यापन योग्य आंकड़े रखें और प्रत्येक तिमाही की समाप्ती के 30 दिनों के भीतर तिमाही आधार पर इन्हें आयोग को प्रस्तुत करे ताकि इन आंकड़ों को अगली टैरिफ समीक्षा के दौरान मानदण्डों की आगे जांच करने हेतु आधार बनाया जा सके।

1.2.3 अन्तर-राज्यीय पारेषण टैरिफ हेतु मानदण्ड

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13(ग) और धारा 28 के अनुसार आयोग ने सार्वजनिक सुनवाई के बाद अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली हेतु मानदण्ड तैयार किए थे। इस आदेश की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार है :—

* पूर्ण निर्धारित लागत की प्राप्ति हेतु नियामक उपलब्धता 98% तय की गई थी।
* दो सीमावर्ती क्षेत्रों द्वारा अंतः क्षेत्रीय परिसंपतियों के लिए प्रभारों की हिस्सेदारी 50:50 के आधार पर की जाएगी भले ही विद्युत प्रभार का स्वरूप कुछ भी हो।
* मध्यवर्ती क्षेत्र (क्षेत्रों) में पावर ग्रिड प्रणाली के उपयोग हेतु आयातक क्षेत्र द्वारा कोई पारेषण प्रभार अदा नहीं किया जाएगा।
* राज्य बिजली बोर्ड/राज्य यूटिलिटी प्रणाली के जरिए विद्युत प्रवाह (व्हीलिंग) के मामले में प्रभारों के लिए यूटिलिटीज के बीच पारस्परिक सहमति का प्रस्ताव है और सहमति न होने की स्थिति में व्हीलिंग प्रभारों की गणना हेतु संविदा पद्धति की सिफारिश की गई है। व्हीलिंग प्रभार संविदा पद्धति के साथ पर्याप्त क्षमता की नई पारेषण लाइन के प्रभारों की तुलना में अधिक नहीं होने चाहिएं।
* व्हीलिंग के कारण संवर्द्धनकारी पारेषण हानियों के लिए भुगतान वस्तु रूप में किया जाना अपेक्षित है अर्थात पारेषण हानियों की भरपाई आयातक यूटिलिटी से प्रभारित ऊर्जा की समान मात्रा द्वारा की जाएगी।

1.3 अन्तर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना हेतु कार्य-पद्धति

आयोग द्वारा अधिसूचित किए गए अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली संबंधी मानदण्ड 1 अप्रैल, 2001 से लागू होते हैं और इससे पहले की अवधि के लिए दिनांक 16 दिसम्बर, 1997 की भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना लागू की जाएगी। भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना में पारेषण प्रणाली की वार्षिक उपलब्धता के आधार पर प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई थी। तथापि, इस अधिसूचना में पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना के लिए कार्य पद्धति निर्धारित नहीं की गई थी। पक्षों के विचारों को सुनने के बाद और के.वि.प्रा. की सक्रिय सहायता से आयोग ने पारेषण प्रणाली की उपलब्धता की गणना संबंधी क्रियाविधि को अंतिम रूप दिया था।

कार्य पद्धति के अनुसार पारेषण तत्वों को पारेषण तत्वों की विभिन्न श्रेणियों में समूहबद्ध किया गया है अर्थात् ए सी लाइन्स, इंटर कनटिंग ट्रांसफार्मर्स (आई.सी.टी.), स्टेटिक वी ए आर कंपनसेटर (एस.वी.सी.) स्विचड बस रिएक्टर, एच वीडीसी लाइन्स और एच.वी.डी.सी. बैक-टू-बैक स्टेशन पारेषण उपलब्धता की गणना प्रत्येक श्रेणी को प्रदत्त भार, विचाराधीन कुल घंटे और उक्त श्रेणी के प्रत्येक तत्व के लिए अनुपलब्धता के घंटों के आधार पर की जाती है।

2. उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) के कार्यान्वयन हेतु जल विद्युत केन्द्रों के लिए कार्यक्रम

विद्युत क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने उपलब्धता आधारित टैरिफ (ए.बी.टी.) संरचना को लागू करने पर विचार किया था। आयोग ने दिनांक 4 जनवरी, 2000 के अपने आदेश में देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में स्थित 2150 मेगावाट की कुल क्षमता वाले केन्द्रीय जल विद्युत उत्पादन केन्द्रों के लिए उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन का निर्देश दिया था। जब जल विद्युत केन्द्रों के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के संबंध में आयोग द्वारा विचार किया जा रहा था तब एन.एच.पी.सी. ने एक पुनरीक्षा याचिका संख्या (17/2000) दायर की थी जिसमें एन.एच.पी.सी. के जल विद्युत केन्द्रों पर लागू होने के बारे में आयोग के दिनांक 4 जनवरी, 2000 के आदेश के कुछेक पहलुओं की समीक्षा करने की मांग की थी। पुनरीक्षा याचिका को स्वीकार करते हुए आयोग ने यह मत व्यक्त किया था कि जल विद्युत केन्द्रों के लिए कार्यक्रम जबकि एक बार जारी कर दिया गया है, तथापि एन.एच.पी.सी. द्वारा अपनी पुनरीक्षा याचिका में उठाए गए विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

आयोग ने जल विद्युत संयंत्रों के लिए उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित जल विद्युत कार्यक्रम को तैयार करने के लिए कनाडा के मैसर्स एस.एन.सी. लेवालिन को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। उक्त कार्यक्रम को वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया और याचिका संख्या 17/2000 में आदेश जारी किए गए थे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तत्परता के निम्न स्तर और अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं जैसी विद्यमान विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह महसूस किया था कि उपलब्धता आधारित टैरिफ को उसके मौजूदा स्वरूप में कार्यान्वित करना संभव नहीं हो सकता है। अत: आयोग ने नीपको को निर्देश दिया था कि वह इस क्षेत्र में उपलब्धता आधारित टैरिफ को कार्यान्वित करने संबंधी कार्यक्रम के साथ आयोग के समक्ष एक याचिका दायर करे। बाद में नीपको ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन का अनुरोध करते हुए अगस्त, 2000 में एक याचिका दायर की है।

3. टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों के बारे में आयोग की अधिसूचना

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने 26 मार्च, 2001 की अधिसूचना के तहत ऐसी निबंधन एवं शर्तें अधिसूचित की थी जिनके अनुसार अधिनियम की धारा 13 के खंड (क) (ख) और (ग) के तहत टैरिफ का निर्धारण किया जाएगा। इस अधिसूचना में टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए उत्पादनकर्ता कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ऐसे टैरिफ प्रपत्र शामिल हैं जिन्हें दायर किया जाना है। ये विनियम 1 अप्रैल, 2001 से लागू होंगे और 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेंगे बशर्ते कि आयोग द्वारा इससे पूर्व इनकी समीक्षा नहीं की जाती है और अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। तथापि, इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए मानदण्ड नीपको के नियंत्रणाधीन उत्पादन केन्द्रों पर लागू नहीं होंगे।

4. आयोग की पर्यावरणीय कार्यसूची

विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 13(च) के अनुसार आयोग को विद्युत क्षेत्र के पर्यावरणीय विनियमन हेतु समुचित नीतियां और क्रियाविधियां तैयार करने के लिए पर्यावरणीय विनियामक एजेंसियों के साथ सहयोग करना है।

जहां तक पर्यावरणीय विनियमन का संबंध है आयोग ने वर्ष के दौरान ''केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग हेतु पर्यावरणीय संबंधी कार्यसूची'' तैयार करने का कार्य शुरू किया है। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.ई.आर.आई.) जिसे इस संबंध में अध्ययन करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया था, ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। परामर्शदाता की रिपोर्ट में पर्यावरणीय पहलुओं के निम्नलिखित तत्वों की समीक्षा/उन पर चर्चा की गई है :—

(i) विद्युत क्षेत्र से संबंधित पर्यावरण संबंधी मौजूदा मानदण्ड।

(ii) अन्य देशों की तुलना में भारत के पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धांत, जिनमें अन्य देशों में अपनाए गए पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु टैरिफ एवं कर आधारित प्रोत्साहन शामिल हैं।

3725 Power/2001—48

(iii) पर्यावरणीय मानदण्डों के लागत संबंधी लाभों पर मौजूदा साहित्य।

(iv) पर्यावरणीय मानदण्डों के लागत संबंधी लाभ। अनुरूपण प्रक्रिया का इस्तेमाल करके इसमें जल विद्युत, ताप विद्युत और गैस आधारित संयंत्रों के पर्यावरणिक लागत आकलन पर चर्चा की गई है।

(v) विद्युत क्षेत्र के पर्यावरणोंनुकूल के विकास से संबंधित नीतिगत मुद्दे।

(vi) के.वि.वि.आ. हेतु पर्यावरण संबंधी कार्य सूची।

पर्यावरणीय विनियमन हेतु सुझाई गई सिफारिशें निम्नानुसार हैं :—

(i) पर्यावरणीय एजेंसियों के साथ सहयोग;

(ii) टैरिफ निर्धारण संबंधी कार्य का उपयोग;

(iii) बकाया मुद्दों का समाधान;

(iv) भारत सरकार को सहायता व सलाह।

5. पारेषण लाइसेंस प्रदान करने के बारे में निबंधन एवं शर्तें तथा क्रियाविधि

भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 27ग के तहत आयोग को अन्तर-राज्यीय पारेषण हेतु पारेषण लाइसेंस देने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि धारा 27ग (3) और (4) के उपबंधों के तहत अपेक्षा की गई है आयोग के कर्मचारियों द्वारा सी.टी.यू. का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु क्रियाविधि सहित पारेषण लाइसेंस की मंजूरी हेतु प्रक्रिया के मसौदे, निबंधन एवं शर्तों, आवेदन पत्र तथा लाइसेंस फीस को शामिल करते हुए एक दस्तावेज तैयार किया गया था। दस्तावेज के मसौदे का विद्युत क्षेत्र में हितधारियों के विचार प्राप्त करने को ध्यान में रखते हुए नवम्बर, 2000 में व्यापक परिचालन किया गया था। इस संबंध में अंतिम रूप में अधिसूचना आगामी वित्त वर्ष अर्थात् 2001-02 के दौरान सार्वजनिक सुनवाई की प्रक्रिया के बाद जारी की जानी है।

6. पूर्वी तथा उत्तरी क्षेत्र में ग्रिड की गड़बड़ी के संबंध में आदेश

वर्ष 2000-01 के दौरान ग्रिड से संबंधित दो बड़ी गड़बड़ियां हुई, पहली गड़बड़ी 25 जुलाई, 2000 को पूर्वी क्षेत्र में और दूसरी गड़बड़ी 2 जनवरी, 2001 को उत्तरी क्षेत्र में हुई। आयोग ने समेकित प्रचालन प्रणाली में संबंधित कार्याधिकारियों की उस भूमिका की स्वत: जांच की थी, जिससे ग्रिड संबंधी ये गड़बड़ियां हुई थीं। आयोग ने अपने आदेश में इस प्रकार की ग्रिड संबंधी गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/यूटिलिटीज, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी (सी.टी.यू.) और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए थे। प्रमुख दिशा निर्देश अनुसूची तैयार करने की प्रक्रिया, अनुसूचियों एवं प्रणाली संबंधी मानदण्डों को बनाए रखने के लिए आर.एल.डी.सी. के अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने, कम बारम्बारता रिले इत्यादि के प्रचालन से संबंधित थे। संबंधित एजेंसियों द्वारा आयोग के दिशा-निर्देशों का कारगर ढंग से अनुपालन करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है।

7. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई.ई.जी.सी.) समीक्षा पैनल का गठन

आयोग ने दिनांक 30 अक्तूबर, 1999 और 21 दिसम्बर, 1999 के अपने आदेश के द्वारा भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई.ई.जी.सी.) को अनुमोदित किया था जो 1 फरवरी, 2000 से प्रवृत्त हुई थी। आयोग की यह राय है कि आई.ई.जी.सी. एक ऐसा प्रगतिशील दस्तावेज है जिसका ग्रिड की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार पुनरीक्षण अपेक्षित है। तदनुसार आयोग ने आई.ई.जी.सी. दस्तावेज के अध्याय-8 में निहित उपबंधों के अनुसार जुलाई, 2000 में आई.ई.जी.सी. पुनरीक्षा पैनल गठित किया है। आई.ई.जी.सी. समीक्षा पैनल ने 12 फरवरी, 2001 और 26 मार्च, 2001 को अपनी दो बैठकें की थीं और आई.ई.जी.सी. समीक्षा पैनल द्वारा आयोग के अनुमोदन के लिए आई.ई.जी.सी. में संशोधनों से संबंधित अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

8. भार प्रेषण कार्यकलाप करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) के शुल्क एवं प्रभार

विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 55(10) के अनुसार आयोग के लिए भार प्रेषण कार्यकलाप करने के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) को अदा किए जाने वाले शुल्क एवं प्रभारों को अधिसूचित करना अपेक्षित है। आयोग ने सी.टी.यू. द्वारा दायर की गई याचिका पर यह आदेश दिया है कि पिछली अवधि अर्थात् 1998-99 और 1999-2000 के लिए आर.एल.डी.सी. के प्रभारों की वसूली केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिनांक 15 जुलाई 1998 के पत्र के अनुसार की जाएगी। बाद की अवधि के लिए के.वि.प्रा. से अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में आयोग को समुचित

सिफारिशें करें। आयोग ने अपने कर्मचारियों को क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों के प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी खर्चों में वृद्धि के बारे में एक आधार पत्र तैयार करने का निर्देश भी दिया है। इस संबंध में अंतिम आदेश सार्वजनिक सुनवाई के बाद जारी किए जाएंगे।

9. विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु क्रियाविधि

आयोग केन्द्रीय विद्युत संगठनों (यूटिलिटीज) के बढ़ते हुए बकाये के प्रति चिंतित है। इस संबंध में आयोग ने केन्द्रीय संगठनों की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के कारण चूककर्ता लाभानुभोगियों के खिलाफ विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु जून, 2000 में अंतरिम क्रियाविधि जारी की है। विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु अंतिम क्रियाविधि सार्वजनिक सुनवाई के बाद जारी की जाएगी।

10. ग्रिड संबंधी मानदण्डों का रख-रखाव

आयोग ने क्षेत्रीय संघटकों द्वारा ग्रिड संबंधी अनुशासन के उल्लंघन के बारे में विभिन्न क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर कार्यवाही शुरू की है। आयोग ने चूककर्ता संघटकों को आई.ई.जी.सी. का कड़ाई से अनुपालन करने और वास्तविक प्रचालन के समय पर ग्रिड संबंधी मानदण्डों को बनाए रखने हेतु उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।

11. प्रतिस्पर्धी बोली हेतु विनियम

आयोग विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत पारेषण सेवाओं के लिए बोलियां मांगने हेतु प्रापणकर्ताओं द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया एवं प्रलेखीकरण के अनुमोदनार्थ विनियम तैयार करने की प्रक्रिया में लगा है। प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के बारे में विनियमों के संबंध में परामर्श देने के लिए दिनांक 8 अगस्त, 2000 को मै. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.) को बुलाया गया था।

अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण इन चरणों में विभक्त है : (i) पहले चरण में प्रतिस्पर्धी बोली के अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव की समीक्षा एवं उसका मूल्यांकन शामिल है (ii) दूसरे चरण में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं नीति निर्देशक सिद्धांतों की समीक्षा शामिल है। (iii) तीसरे चरण में भारत सरकार के मौजूदा नीतिगत ढांचे के भीतर और विद्यमान प्रशासनिक एवं विधिक वातावरण में प्रतिस्पर्धी बोली के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की सिफारिश करना शामिल है और (iv) पीपावाव बृहद विद्युत परियोजना की समीक्षा करना शामिल है। ये समीक्षाएं के.वि.वि. आयोग को प्रस्तुत की जा चुकी हैं और इन पर आयोग के भीतर व्यापक चर्चा की गयी थी। बोली प्रक्रिया संबंधी सिफारिशों से संबंधित पी.डब्ल्यू.सी. के निष्कर्षों तथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम शर्तों और मानदण्डों पर भी 7 नवम्बर, 2000 को आयोजित विशेषज्ञों की बैठक में चर्चा की गयी थी। इसके आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी विनियमों के मसौदे को अंतिम रूप प्रदान करने हेतु सुझाव दिए गए थे।

अगले और अंतिम चरण में उत्पादन एवं पारेषण सेवाओं के प्रापण हेतु प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी विनियमों का मसौदा तैयार करना शामिल है, जिसे सार्वजनिक सुनवाई के दस्तावेज के रूप में बाहर भेजा जाएगा। इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई/चर्चा की जाएगी और "प्रतिस्पर्धी बोली संबंधी विनियमों" की अधिसूचना जारी की जाएगी।

12. विद्युत संगठनों (यूटिलिटीज) के लिए संगत क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की मानीटरिंग

आयोग ने विद्युत संगठनों (यूटिलिटीज) के लिए संगत एक विशिष्ट मूल्य सूचकांक तैयार किया है। इस सूचकांक में डब्ल्यू.पी आई के ऐसे संघटक शामिल हैं जो विद्युत संगठनों (यूटिलिटीज) की गतिविधियों से संबंधित है । सी.पी. आई. के साथ-साथ इससे विद्युत संगठनों के प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी खर्चों की मानीटरिंग में मदद मिलेगी।

13. कर्मचारी चर्चा पत्र

दो कर्मचारी चर्चा पत्र जिन्हें संगठनों (यूटिलिटीज) को परिचालित किया गया था, निम्नानुसार है :—

* विद्युत उत्पादन केन्द्रों के प्रचालन तथा अनुरक्षण संबंधी खर्चों के लिए संवर्द्धनकारी सूत्र (फार्मूला)।
* पारेषण प्रणाली की प्रचालन और अनुरक्षण लागत संबंधी वार्षिक संवृद्धि फार्मूले की समीक्षा।

14. संगठनों (यूटिलिटीज) द्वारा आंकड़ों को वार्षिक आधार पर दायर करना

संगठनों से आंकड़ों के एकत्रण की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से ताप विद्युत उत्पादन तथा पारेषण के संबंध में आंकड़ों को वार्षिक आधार पर दायर करने संबंधी अपेक्षाओं को क्रमशः दिनांक 25 मई, 2000 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या 63 और दिनांक 15 जुलाई, 2000 की असाधारण राजपत्र अधिसूचना संख्या 91 में अधिसूचित किया गया था। जल विद्युत उत्पादन के संबंध में वार्षिक आधार पर दायर करने संबंधी अपेक्षाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

15. पुनरीक्षा याचिकाएं

वि.वि.आ. अधिनियम की धारा 12 के तहत दिए गए अनुसार आयोग को ऐसे मामलों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ इसके निर्णयों निर्देशों और आदेशों की पुनरीक्षा करना अपेक्षित है की बाबत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां प्राप्त हैं। के.वि.वि.आ. के समक्ष आरंभ में ही उपलब्धता आधारित टैरिफ के बारे में याचिका संख्या 2/1999 में इसके आदेशों की पुनरीक्षा का मामला आया था। निम्नलिखित संगठनों (यूटिलिटीज) ने उपलब्धता आधारित टैरिफ के संबंध में आयोग के आदेशों की पुनरीक्षा के लिए आयोग के समक्ष अपनी याचिकाएं दायर की हैं :—

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम	याचिका संख्या 13/2000
राष्ट्रीय जल विद्युत निगम	याचिका संख्या 17/2000
नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन	याचिका संख्या 21/2000
अ.प्रे. ट्रांसको	याचिका संख्या 18/2000

इसके अलावा आयोग के दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 के टैरिफ आदेशों की पुनरीक्षा के लिए एन.एल.सी., एन.टी.पी.सी., आर.बी.पी.एन.एल., एच.बी.पी.एन.एल., पी.जी.सी.आई.एल., यू.पी.पी.सी.एल., पी.एस.ई.बी. तथा नेशनल ग्रिड आफ यू.के. के द्वारा भी पुनरीक्षा याचिकाएं दायर की गई हैं।

16. हिरमा विद्युत परियोजना के संबंध में आदेश

पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने मैसर्स साऊदर्न एनर्जी एशिया पैसिफिक लिमिटेड (एस.ई.ए.पी. हांग-कांग) द्वारा उड़ीसा राज्य में विकसित की जाने वाली 3960 मेगावाटर (6X660 मेंगावाट) की निवल क्षमता वाली प्रस्तावित हिरमा विद्युत परियोजना के लिए टैरिफ के अनुमोदन के संबंध में याचिका (संख्या 24/2000) दायर की है। परियोजना से उत्पादित की जाने वाली विद्युत पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान आदि पांच राज्यों को पारेषित करने का प्रस्ताव है। याचिकाकर्ता के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए तथा परियोजना विकासकर्ता के प्रस्ताव के साथ सदृशता के लिए एस.बी.आई. कैपस परामर्शदाता हैं ताकि अत्याधिक प्रतिस्पर्धात्मक टैरिफ और निबंधन और शर्तों के संबंध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जा सके। आयोग ने इस याचिका पर वि.वि.आ. अधिनियम की धारा 13(ज) के अंतर्गत कार्रवाई की है जिसमें टैरिफ से संबंधित मामले के संबंध में उत्पादन कम्पनियों के बीच विवाद पर मध्यस्थता के द्वारा निर्णय के लिए व्यवस्था है। आयोग ने याचिका संख्या 24/2000 में दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 के अपने आदेश में यह निर्णय लिया है कि तयशुदा प्रभारों के लिए उचित स्तर का टैरिफ 74% के फ्रन्ट भार के साथ और अत्यंत नाजुक बायलरों का प्रयोग करके 85% संबंध भार अनुपात पर 1.3398/के.डब्ल्यू.एच. रुपये होगा।

17. केन्द्रीय सरकार (विद्युत मंत्रालय) को दी गई सलाह

वि.वि.आ. अधिनियम की धारा 13(ङ) के अंतर्गत आयोग टैरिफ नीति के निर्धारण के मामले में केन्द्र सरकार को सहायता और सलाह दे सकता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग ने याचिकाओं पर अपने विभिन्न आदेशों में विद्युत मंत्रालय को सलाह दी है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा टैरिफ नीति को तैयार करने में ध्यान रखा जायेगा। निम्नलिखित सलाह दी गई थी :—

(क) हिरमा वृहद विद्युत परियोजना से पी.टी.सी. द्वारा विद्युत की खरीद-याचिका संख्या 24/2000

आयोग ने दिनांक 26 सितम्बर, 2000 के अपने आदेश में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को सलाह दी है कि विद्युत क्षेत्र के व्यापक हित में वृहद विद्युत परियोजनाओं के लिए आयातित उपस्करों पर सीमा शुल्क से छूट की उपलब्धता के संबंध में वित्त मंत्रालय से अग्रिम आदेश प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाये जाएं।

(ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के क्षेत्राधिकार के तहत कम्पनियों (इनटिटीज) के लिए विद्युत टैरिफ के संबंध में मानदण्ड, निबंधन और शर्तें—याचिका संख्या 4/2000, 31/2000, 32/2000, 34/2000, 85/2000, 86/2000, तथा 88/2000,

(i) आयोग ने दिनांक 21 दिसम्बर, 2000 के अपने आदेश में इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली कम्पनियों के लिए लागू विद्युत टैरिफों के संबंध में मानदण्डों, निबंधनों और शर्तों से संबंधित विभिन्न विषयों को व्यापक रूप से शामिल किया है। आयोग ने सरकार को सलाह दी है कि वि.वि.आ. अधिनियम, 1998 की धारा 28 के अंतर्गत केन्द्रीय आयोग द्वारा तैयार किए गए निबंधन और शर्तें देश में उन अन्य विद्युत कम्पनियों के लिए भी लागू किए जाएंगे जो इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं ताकि टैरिफ के चयनित मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता सुनिश्चित की जा सके।

(ii) मूल्यह्रास प्रभार के मामले में आयोग ने सलाह दी है कि धारा 43क(2), 68, 75क(3) तथा अनुसूची-VI के अंतर्गत दरें अधिसूचित की जाएं ताकि राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लायी जा सके।

(iii) विकास अधिभार के संबंध में आयोग ने अपने आदेश में यह कहा है कि न्यासी की क्षमता में यूटिलिटी के पास यह अपवर्तित प्राप्ति बन जाती है परन्तु इसे लाभ नहीं माना जायेगा। यह अधिभार यूटिलिटी द्वारा टैरिफ के साथ एकत्रित प्राप्ति के रूप में होगा और इसे अलग से लेखे में लिया जाएगा। यूटिलिटी द्वारा इस प्राप्ति को केवल क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग में लाये जाने की आशा की जाती है और इसको कम्पनी के लाभ और हानि के लेखे में नहीं जोड़ा जाएगा। तथापि किसी भी विवाद और लाभनुभोगियों पर कराधान के कारण अनापेक्षित बोझ पड़ने से बचने के लिए आयोग ने केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी करने की सलाह दी है ताकि इसके कारण किसी भी परिहार्य विवाद को उठने से पहले ही रोका जा सके।

(ग) उपलब्धता आधारित टैरिफ—याचिका संख्या 2/1999

आयोग ने उपलब्धता आधारित टैरिफ के संबंध में दिनांक 4 जनवरी, 2000 के अपने आदेश में भारत सरकार को यह सलाह दी है कि उपलब्धता के आधार पर उत्पादन केन्द्र के अनिर्धारित भाग को निर्धारित करने के बारे में कम से कम एक मास पूर्व निर्णय लिया जाए ताकि ऐसी क्षमता को बेचने में सुविधा हो सके और राज्य बिजली बोर्डों पर बोझ कम हो सके। इससे उत्पादक को पर्याप्त अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध होगा बशर्ते कि वह इस अधिशेष विद्युत को बेचने में सक्षम हो जाता है।

(घ) उत्तरी क्षेत्र में 2 जनवरी, 2001 को ग्रिड में गड़बड़ी—जांच संख्या 1/2001

उक्त के संबंध में स्वत: की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान आयोग ने यह देखा कि पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.) के स्वामी के रूप में यह सुनिश्चित करना सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह उन कार्यों को कर रहा है जो क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी.) के संबंध में विधि के अंतर्गत इसे दिए गए प्राधिकार के तहत अन्तर्निहित हैं। पी.जी.सी.आई.एल. में इन शक्तियों को प्रयोग में लाने की समझ-बूझ न होने के कारण विद्युत ग्रिड का सुरक्षित प्रचालन और सुरक्षा खतरे में पड़ गयी है। अत: सरकार को यह सोचना है और निर्णय लेना है यदि देश में बार-बार ग्रिड को बैठने से रोकना है जोकि हो रहा है, तो इस मामले में किस प्रकार कार्रवाई की जाए। आयोग ने पी.जी.सी.आई.एल. के स्वामी

के रूप में केन्द्रीय सरकार को सलाह दी है कि वह केन्द्रीय पारेषण संगठन (सी.टी.यू.) के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करने हेतू, पी.जी.सी.आई.एल. को अनुदेश दे। आयोग ने भारत सरकार को आगे यह भी सलाह दी है कि पी.जी.सी.आई. एल. को सी.टी.यू. के रूप में याचिका के संबंध में आदेश के पैरा 7(क) के अंतर्गत मौजूदा उपस्कर की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपाय खोजने और उनका अनुसरण करने के अनुदेश दिए जाएं।

ग्रिड में हुई गडबड़ी को ठीक करने के संबंध में आगे सुनवाई करते हुए आयोग ने यह देखा कि पी.जी.सी.आई.एल. के पास पारेषण लाइनों के निर्माण सहित इनके प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट क्षमता है परन्तु सी.टी.यू. के रूप में वे ग्रिड का संतोषजनक रूप में प्रबंधन करने में सक्षम नहीं है। आयोग ने भारत सरकार को इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाने की सलाह दी है ताकि पावरग्रिड सी.टी.यू. के रूप में ग्रिड का प्रबंधन संतोषजनक रूप में करने में सक्षम हो सके क्योंकि सरकार ने ही पी.जी.सी.आई.एल. को भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के संशोधन के तहत धारा 27 के अंतर्गत सी.टी.यू. के रूप में अधिसूचित किया है।

18. विभिन्न उच्च न्यायालयों में उपलब्धता आधारित टैरिफ के विरूद्ध अपीलें

आयोग ने याचिका संख्या 2/99 में दिनांक 4 जनवरी, 2000 के अपने आदेश के द्वारा उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए निर्देश दिया था। दिनांक 4 जनवरी, 2000 के आदेश की पुनरीक्षा के लिए एन.टी.पी.सी. द्वारा दायर आवेदन के आधार पर आयोग ने 15 दिसम्बर, 2000 को आगे विस्तृत आदेश जारी किया था। उपर्युक्त के संबंध में आयोग के आदेशों के अनुसार उपलब्धता आधारित टैरिफ को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार लागू किया जाना था :—

1.	दक्षिणी क्षेत्र	01-04-2001
2.	पूर्वी क्षेत्र	01-05-2001
3.	उत्तर क्षेत्र	01-06-2001
4.	पश्चिमी क्षेत्र	01-08-2001

उपलब्धता आधारित टैरिफ संबंधी आयोग के आदेशों के विरूद्ध एन.टी.पी.सी. द्वारा वि.वि. आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 16 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में अपीलें दायर की गई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 7 मार्च, 2001 को अंतरिम आदेश पारित किया है। तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने भी उपलब्धता आधारित टैरिफ संबंधी आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपील दायर की है। जिसके संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया है :—

"4 सप्ताह में प्रत्यावर्तनीय अन्तरिम स्थगन नोटिस"

मद्रास उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की यह व्याख्या की गई है कि इसके द्वारा उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन को रोक दिया गया है। दक्षिणी क्षेत्र में 1 अप्रैल, 2001 से उपलब्धता आधारित टैरिफ के कार्यान्वयन के विरूद्ध ए. पी. ट्रांसकों ने भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। अन्तरिम उपाय के रूप में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यू. आई. प्रभारों के वसूली को स्थगित कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलौर में भी एक अपील दायर की गई है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों ने उनके समक्ष दायर की गई अपीलों पर कार्रवाई करते समय और अपीलकर्ताओं द्वारा अन्तरिम प्रार्थना पर विचार करते समय भी अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाएं हैं। अत: अपीलों के अंतिम रूप से निपटान के समय पर भी उच्च न्यायालयों द्वारा अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए जाने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

वर्ष 2001-2002 के लिए कार्यसूची

1. विद्युत और विद्युत पारेषण सेवाओं की आपूर्ति के लिए बोलियां आमंत्रित करने हेतु प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोग में लाई गई प्रक्रिया और प्रलेखन को अनुमोदित करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने के विनियमों के प्रारूप को अंतिम रूप देना।
2. आयोग की दिनांक 26 मार्च, 2001 की टैरिफ अधिसूचना के अनुसार जल विद्युत, ताप विद्युत तथा अन्तरराज्यीय पारेषण सेवाओं के लिए टैरिफ आदेश जारी करना।
3. भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आई.ई.जी.सी.) समीक्षा पैनल की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता की समीक्षा।
4. पारेषण लाइसेंस मंजूर करने के लिए प्रक्रिया, निबंधन और शर्तों तथा आवेदन प्रपत्र के संबंध में अधिसूचना।
5. देय राशि की अदायगी न किए जाने के कारण विद्युत आपूर्ति के विनियमन हेतु प्रक्रिया को अंतिम रूप देना।
6. भार प्रेषण कार्यों को करने के लिए क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों (आर.एल.डी.सी) को प्रदत्त किए जाने वाले शुल्कों और प्रभारों के संबंध में अधिसूचना।
7. उपलब्धता आधारित टैरिफ और भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के कार्यान्वयन की मानीटरिंग।
8. ताप विद्युत प्रचालन आंकड़ों को संकलित करना।
9. नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के संयंत्रों के लिए ताप विद्युत और जल विद्युत प्रचालन मानदण्डों के संबंध में आदेश जारी करना जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्धता आधारित टैरिफ का कार्यान्वयन सुसाध्य हो सके।
10. कार्य-निष्पादन मानदण्डों और मूल्य विनियमन की मानीटरिंग।
11. दूरवर्ती हितधारियों द्वारा भाग लेने को सरल बनाने हेतु क्षेत्रीय आधार पर सुनवाई करना और बकाया पड़े मामलों का निपटान करना।
12. ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों द्वारा दायर करने संबंधी अपेक्षाओं को अंतिम रूप देना।
13. निम्नलिखित कर्मचारी चर्चा पत्र तैयार करना :—

1. क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर.एल.डी.सी.) के प्रभारों की वार्षिक संवृद्धि की विशेषताएं।
2. विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा।

14. ''जल विद्युत केन्द्रों के लिए प्रचालन मानदण्ड'' के संबंध में आयोग के दिनांक 8 दिसम्बर, 2000 के आदेश में यथा परिकल्पित राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) तथा नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) के विद्यमान जल विद्युत केन्द्रों की अभिकल्पित ऊर्जा की समीक्षा के लिए कार्रवाई आरंभ करना।
15. बैरा-स्यूल, लोकतक तथा कोपली जल विद्युत केन्द्रों के लिए टैरिफ को दो भाग में लागू करना।
16. मूल आंकड़ों का प्रयोग करके पर्यावरणीय लागतों के अनुमान लगाने के बारे में एक अध्ययन।
17. विद्युत क्षेत्र में पर्यावरण संबंधी सैद्धांतिक पहलुओं का सतत आधार पर अध्ययन।
18. विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 60 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करना।

आयोग में 21 जनवरी, 2001 से अध्यक्ष का पद और दिसम्बर, 2000 से सचिव का पद रिक्त है। रिक्त पदों को भरना।

अनुबंध-I

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

संगठन चार्ट (मार्च 31, 2001 की स्थिति)

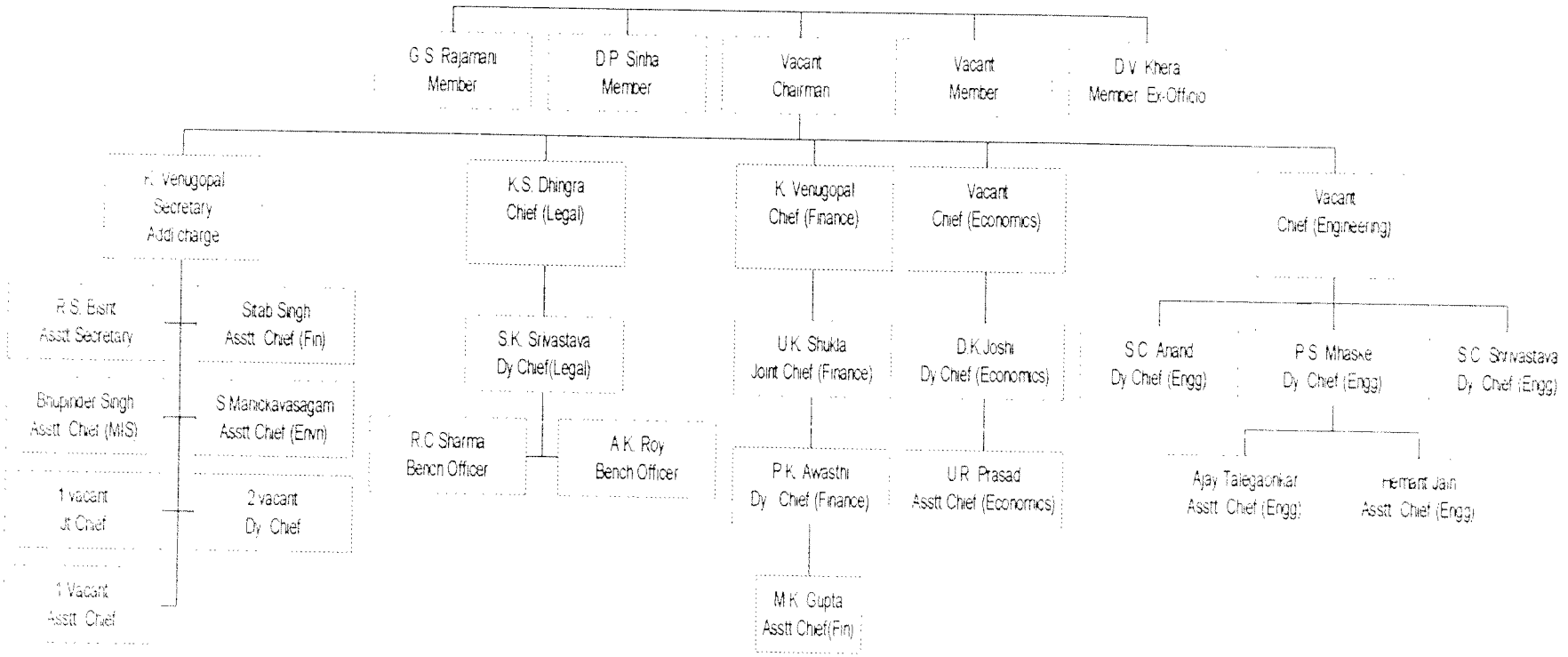

आयोग के सदस्यों और मुख्य कर्मचारियों की सूची

(31-3-2001 की स्थिति के अनुसार)

पदनाम	नाम	ई-मेल
अध्यक्ष	रिक्त	
सदस्य	डी. पी. सिन्हा	dps42a@hotmail.com
सदस्य	जी. एस. राजामणि	gsr23@hotmail.com
सदस्य	रिक्त	
सदस्य (ई.ओ.)	डी. वी. खेड़ा	
सचिव	के. वेणुगोपाल (स्थानापन्न)	venu_k_gopal@hotmail.com
प्रमुख (वित्त)	के. वेणुगोपाल	venu_k_gopal@hotmail.com
प्रमुख (विधिक)	के. एस. ढींगरा	ks_dhingra@hotmail.com
प्रमुख	रिक्त (दो पद)	
संयुक्त प्रमुख (वित्त)	यू. के. शुक्ला	ukshukla@cercind.org
संयुक्त प्रमुख	रिक्त	
उप-प्रमुख (इंजीनियरी)	पी. एस. म्हसके	psmhaske@yahoo.com
उप-प्रमुख (इंजीनियरी)	एस. सी. आनंद	anandsca@hotmail.com
उप-प्रमुख (इंजीनियरी)	एस. सी. श्रीवास्तव	scschandra@hotmail.com
उप-प्रमुख (आर्थिक)	डी. के. जोशी	joshi_cerc@hotmail.com
उप प्रमुख (वित्त)	पी. के. अवस्थी	awasthi_prabhat@yahoo.com
उप प्रमुख (विधिक)	एस. के. श्रीवास्तव	
उप-प्रमुख	रिक्त (दो पद)	
सहायक सचिव	आर. एस. बिष्ट	bisht@rediffmail.com
सहायक प्रमुख (इंजीनियरी)	अजय तलेगावंकर	ajay_tal@hotmail.com
सहायक प्रमुख (इंजीनियरी)	हेमन्त जैन	hem_jain@hotmail.com
सहायक प्रमुख (वित्त)	एम. के. गुप्ता	mkgca@hotmail.com
सहायक प्रमुख (आर्थिक)	यू. आर. प्रसाद	u_rcp@hotmail.com
सहायक प्रमुख (पर्यावरण)	एस. मानीकावासागम	s_vasagam@yahoo.com
सहायक प्रमुख (एम.आई.एस)	भूपिंदर सिंह	vilkhu@hotmail.com
बेंच ऑफिसर	ए. के. राय	akroy44@hotmail.com
बेंच ऑफिसर	आर. पी. शर्मा	
सहायक प्रमुख (लेखा)	सिताब सिंह	
सहायक प्रमुख	रिक्त ([illegible] पद)	

वे संगोष्ठियां/सम्मेलन जिसमें अध्यक्ष/सदस्य/सचिव, सी.ई.आर.सी. ने भाग लिया।

क्रम सं.	नाम और पदनाम	संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यक्रम	दौरा किया गया देश
1.	श्री ए.आर.रामनाथन सदस्य	वर्ल्ड फोरम आफ एनर्जी, 17-25 मई, 2000	संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा
2.	प्रो. एस. एल. राव, अध्यक्ष	वर्ल्ड फोरम ऑन एनर्जी रेगुलेशन 21-27 मई, 2000	कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका
3.	श्री संजीव एस. अहलूवालिया, सचिव	वर्ल्ड फोरम ऑन एनर्जी रेगुलेशन 21-27 मई, 2000	कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका
4.	प्रो. एस. एल. राव, अध्यक्ष	रेगुलेशन एण्ड रेगुलेटिड एनटिटी इन गैस एण्ड इलेक्ट्रिसिटी की बैठक 24-30 जून, 2000	यू. के. (लंदन)
5.	प्रो. एस.एल.राव, अध्यक्ष	एस.ए.एफ.आई.आर. की बैठक, 10-12 सितम्बर, 2000	बांग्लादेश
6.	श्री संजीव एस. अहलूवालिया, सचिव	आईसेनहोवर फैलोशिप कार्यक्रम, 14-9-2000 से 2-11-2000 तक	संयुक्त राज्य अमेरिका
7.	श्री डी. पी. सिन्हा, सदस्य	दक्षिण एशिया ऊर्जा विनियमन भागीदारी कार्यक्रम, यू.एस.ई.ए., 23-2-2001 से 3-3-2001 तक	संयुक्त राज्य अमेरिका

प्रशिक्षण

क्रम सं.	प्रशिक्षण संस्था का नाम	प्रशिक्षण का नाम और अवधि	प्रशिक्षण के लिए तैनात किए गए अधिकारियों की संख्या
1.	ए.एस.सी.आई., नई दिल्ली	नियामक कर्मचारियों के कार्यकलापों संबंधी प्रशिक्षण, 8-12 मई, 2000	04-ए.सी. (वित्त) (पर्यावरण) (आर्थिक) और डी.सी. (वित्त)
2.	प्रशिक्षण और सामाजिक अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	वेतनमान निर्धारण के संबंध में तकनीकी कार्यशाला, 21-23 सितम्बर, 2000	03-सहायक
3.	टी.ई.आर.आई., नई दिल्ली	अवसंरचनात्मक सेवाओं में विनियमन संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन 14-15 नवम्बर, 2000	04-प्रमुख (वित्त) जे.सी.(विधिक) डी.सी.(आर्थिक) डी. सी. (इंजीनियरी)
4.	राइटमेंन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	गैर वित्त कार्यपालको के लिए तीन दिन की वित्त संबंधी कार्यशाला, 30 नवम्बर, 2000 से 2 दिसम्बर, 2000 तक	03-डी.सी. (इंजीनियरी) ए.सी.(इंजीनियरी) ए.सी.(इंजीनियरी)
5.	एस.ए.एफ.आई.आर./टी. ई.आर.आई.	अवसंरचना विनियमन और सुधार के संबंध में एस.ए.एफ.आई.आर. प्रशिक्षण 4-15 दिसम्बर, 2000 श्री लंका	01-डी.सी. (आर्थिक)
6.	ए.एस.सी.आई. नई दिल्ली	टैरिफ संरचना और विश्लेषण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम, 22-26 जनवरी, 2001	03-डी.सी. (वित्त), ए.सी.(वित्त), ए.सी.(इंजीनियरी)
7.	एन.पी.टी.आई., फरीदाबाद	आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में दो दिन की कार्यशाला	01-सहायक सचिव
8.	टी.ई.आर.आई., नई दिल्ली	12 फरवरी, 2001 को ताप विद्युत संयंत्र के नवीकरण संबंधी कार्यशाला	01-डी.सी. (इंजीनियरी)
9.	एनर्जी ग्रुप, इन्स्टीच्यूट आफ इन्टरनेशनल एजुकेशन	20 फरवरी, 2001 से 24 फरवरी, 2001 तक मानेसर, हरियाणा, भारत में भारतीय ऊर्जा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यू.एस.ए.आई.डी. सहायता कार्यक्रम	सभी वृत्तिक कर्मचारी

अनुबंध-V

1-4-2000 से 31-3-2001 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (सी.ई.आर.सी.) के समक्ष याचिकाओं की स्थिति

(क) याचिकाएं

गत वर्ष (1999-2000) से आगे लाई गई	वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त याचिकाओं की संख्या	कुल	निपटाई गई याचिकाओं की संख्या	31-3-2001 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत
40	127	167	29	138

ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्रम सं.	याचिका संख्या	के द्वारा दायर	विषय	प्राप्ति की तारीख	निपटान की तारीख	लिया गया समय लगभग
1	2	3	4	5	6	7
01	2/2000	एन.एच.पी.सी.	अधिसूचना में निर्धारित किए गए प्रोत्साहन की मंजूरी	10-1-2000	7-4-2000	3 महीने
02	4/2000	स्वत:	ताप विद्युत् उत्पादन के प्रचालनात्मक मानदंड	20-1-2000	21-12-2000	11 महीने
03	7/2000	एन.एच.पी.सी.	प्रतिवादियों के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ करने हेतु अनुमोदन	28-1-2000	17-7-2000	6 महीने
04	10/2000	एम.पी.ई.बी.	पारेषण प्रभारों का निर्धारण	7-2-2000	23-10-2000	8 1/2 महीने
05	10/2000	एन.टी.पी.सी.	याचिका सं. 2/99 (ए.बी.टी.) में पुनर्विलोकन याचिका	15-2-2000	15-12-2000	10 महीने
06	17/2000	एन.एच.पी.सी.	ए.बी.टी. आदेश की पुनरीक्षा	2-3-2000	8-12-2000	9 महीने
07	20/2000	एन.एच.पी.सी.	वर्ष 1999-2000 के लिए चमेंरा और उड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में विदेशी मुद्रा के अंतर की अंतिम मंजूरी	21-3-2000	7-12-2000	9 महीने

1	2	3	4	5	6	7
08	21/2000	एन.एल.सी.	ए.बी.टी. आदेश की पुनरीक्षा	29-3-2000	19-3-2001	12 महीने
09	22/2000	टी.एन.ई.बी.	तमिलनाड़ को विद्युत् पारेषित नहीं करने के लिए पावरग्रिड के बारे में	18-2-2000	20-9-2000	7 महीने
10	24/2000	पी.टी.सी.	हिरमा मेंगा पावर प्रोजेक्ट के संबंध में उत्पादन टैरिफ और अन्य मामले	31-3-2000	26-9-2000	6 महीने
11	26/2000	एन.एच.पी.सी.	उड़ी ज.वि. परियोजना के संबंध में विदेशी मुद्रा में अन्तर के लिए अनुमोदन	11-4-2000	7-12-2000	8 महीने
12	29/2000	टी.एन.ई.बी.	आई.ई.जी.सी. की समीक्षा	18-4-2000	22-6-2000	2 महीने
13	30/2000	टी.एन.ई.बी.	आय कर-देयता लाभार्थियों द्वारा प्रतिपूर्ति	18-4-2000	22-6-2000	2 महीने
14	31/2000	स्वत: आयोग के द्वारा मूल्यह्रास की दर		19-4-2000	21-12-2000	8 महीने
15	32/2000	स्वत: आयोग के द्वारा आय की दर		19-4-2000	21-12-2000	8 महीने
16	34/2000	एन.एच.पी.सी.	उत्पादन केन्द्रों पर अधिभार लगाना	5-5-2000	21-12-2000	7 1/2 महीने
17	35/2000			18-2-2000	30-8-2000	6 महीने
18	37/2000	पी.जी.सी. आई.एल.	आई.ई.जी.सी. आदेश की समीक्षा	2-6-2000	22-6-2000	20 दिन
19	38/2000			8-6-2000	4-8-2000	2 महीने
20	51/2000	एन.एच.पी.सी.	चमेरा के टैरिफ का संशोधन	7-7-2000	10-10-2000	3 महीने
21	55/2000	एन.एच.पी.सी.	टनकपुर परियोजना की नियामक उप-[illegible]	17-7-2000	10-10-2000	3 महीने

1	2	3	4	5	6	7
22	56/2000	एन.एच.पी.सी.	उड़ी परियोजना की नियामक उपलब्धता का निर्धारण	17-7-2000	10-10-2000	3 महीने
23	57/2000	एन.एच.पी.सी.	सलाल परियोजना की नियामक उप-लब्धता का निर्धारण	17-7-2000	10-10-2000	3 महीने
24	60/2000	एन.एच.पी.सी.	ताप विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	21-7-2000	24-8-2000	1 महीने
25	85/2000	स्वत: आयोग के द्वारा	जल विद्युत केन्द्रों के लिए प्रचालन मानदंड एवं प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत मानदंड	7-9-2000	21-12-2000	3 महीने
26	86/2000	स्वत: आयोग के द्वारा	अन्तर-राज्यीय पारेषण टैरिफ के लिए मानदंडों का निर्धारण	8-9-2000	21-12-2000	3 महीने
27	88/2000	स्वत: आयोग के द्वारा	ताप विद्युत उत्पादन के लिए प्रचालन तथा अनुरक्षण लागत तथा ऐसी लागत की वृद्धि की विशेषता	12-9-2000	21-12-2000	3 महीने
28	90/2000	पश्चिम बंगाल रा.वि.बो.	नि:शुल्क नियामक कार्रवाई से छूट	14-9-2000	2-1-2001	4 महीने
29	97/2000	एन.आर.एल.डी.सी.	ग्रिड फ्रीक्वेंसी का अनुरक्षण	13-10-2000	14-2-2001	4 महीने

याचिकाओं को निपटाने में लिया गया औसतन समय 5-7 महीने है और यह समय अवधि 20 दिन से 1 वर्ष की है।

(ख) अन्तर्वर्ती आवेदन

गत वर्ष (1999-2000) से आगे लाए गए अन्तर्वर्ती आवेदनों की संख्या	वर्ष 2000-2001 के दौरान प्राप्त अन्तर्वर्ती आवेदनों की संख्या	कुल	निपटाये गये	31-3-2001 की स्थिति के अनुसार विचाराधीन अन्तर्वर्ती आवेदनों की संख्या
2	95	97	85	12

वर्ष के दौरान की गई सुनवाईयों की संख्या--159